डीजी परिपत्र संख्या - 23 /2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 10, 2017

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि सामान्य जनधारणा के अनुसार शिकायतकर्ता को अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने में तमाम तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण पुलिस की एक नकारात्मक छवि उभर कर आती है। यदि जनता की छोटी-छोटी समस्याएं थाना स्तर पर हल कर दी जायें तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पुलिस की छवि पर पड़ता है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, लखनऊ में ई-पुलिस स्टेशन की स्थापना की गयी है। जहां देशी-विदेशी पर्यटकों, महिलाओं लड़कियों दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याओं तथा छोटे बच्चों की गुमशुदगी जैसे अज्ञात एवं गैर संगीन अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट इण्टरनेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से दर्ज की जाती है। निश्चित रूप से यह पीड़ित पक्ष के लिए एक बड़ी राहत की बात है।

खेद का विषय है कि ई-पुलिस स्टेशन के माध्यम से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों की विवेचनायें गम्भीरता से नहीं की जा रही हैं। इन अभियोगों की विवेचनाओं के प्रति विवेचकों का दृष्टिकोण घोर उपेक्षात्मक है, जिससे जनता को ई-पुलिस स्टेशन से जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से 27.07.2017 तक ई-पुलिस स्टेशन के माध्यम से कुल 2163 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से केवल 24 अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये हैं एवं 1007 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर विवेचना समाप्त कर दी गयी है। 1132 अभियोग अभी भी विवेचनाधीन हैं।

.....2/-

स्पष्ट है कि थाना स्तर पर ई-पुलिस स्टेशन के माध्यम से पंजीकृत हो रहे अभियोगों की विवेचनाओं का पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी स्तर पर नहीं हो रहा है और जनपद स्तर पर भी आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में इनकी समीक्षा नहीं की जा रही है।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि ई-पुलिस स्टेशन के माध्यम से पंजीकृत समस्त अभियोगों का अन्य अभियोगों की भांति समयबद्ध एवं गुणात्मक तरीके से निस्तारण कराया जाय तथा समय-समय पर अपराध गोष्ठी के माध्यम से इनका अनुश्रवण भी करते रहें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। यदि किसी भी स्तर पर शिथिलता पायी जाती है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लायी जाय।

भवदीय

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
7. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।